


न्यायालय श्रीमान् महोदय, राजस्व मंत्रालय, रीवा (म०प्र०)



1. राधिका सोनी बल्द रामनरेश सोनी
2. उमाशंकर सोनी पिता सरजू प्रसाद सोनी
3. उमेश कुमार सोनी पिता सरजू प्रसाद सोनी

सभी निवासी ग्राम झलरी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

.....निगरानीकर्ता गण

बनाम

1. सॉन कुंवरि सिंह पिता चेत सिंह गोड़
2. फूलमती पुत्री रंगीलाल सिंह गोड़ दोनों निवासी ग्राम झलरी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

.....गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्र. क. 01/अ-23/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

श्री अरशद बल्ला खान  
द्वारा आज दिनांक 16-2-16  
प्रस्तुत किया गया।  
सिकर्ट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-


- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 15.10.2015 जो म०प्र०भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के अन्तर्गत गैर निगरानीकर्ता गण द्वारा दायर आवेदन में उन्होंने ग्राम झलरी, तह० सरई जिला सिंगरौली के भूमि आ०क० 19, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 90, 53, 54, 213, 219, 20, 23 कुल 14 कित्ता के सन्दर्भ में गैर निगरानीकर्ता गण के पूर्वजों के भूमिस्वामी स्वत्व होने के उल्लेख किया था तथा उसके समर्थन में खसरा वर्ष 56-57 से 60-61 तथा खसरा वर्ष 1986-87 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह उल्लेख है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5086-II/16

जिला-सिंगरौली

राधिका सोनी/सोन कुवरी सिंह

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	